

प्राचीन भारत में सती प्रथा: एक समीक्षात्मक अध्ययन

मनोज सिंह यादव

शोधार्थी, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

सती प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी, जिसके अन्तर्गत विधवा-स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता में जल मरती थी। यद्यपि 'सती' का शाब्दिक अर्थ सत्य पर स्थिर रहने वाली नारी है, तथापि 'सती' शब्द का उल्लेख प्रायः विधवा द्वारा मृत पति के साथ प्राण-त्याग करने के अर्थ में मिलता है। 'सती' शब्द की अभिव्यक्ति के लिए प्राचीन साहित्य में 'अन्वारोहण' (मृत पति के साथ चिता पर चढ़ना) 'सहमरण' (मृत पति के साथ मरना), 'सहगमन' (मृत पति का अनुगमन करना) और 'अनुमरण' (प्रवास में रह रहे पति की मृत्यु का समाचार मिलने के पश्चात् प्राण-त्याग करना) आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सती प्रथा की अवधारणा के पीछे, जो प्रेरक तत्व कार्य कर रहा था, वह यह था कि पति-पत्नी का सम्बन्ध जीवितावस्था में अत्यन्त प्रगाढ़ और पावन होता है तथा पति की मृत्यु के बाद परलोक और जन्मांतर में भी यथावत बना रहे। अतः सती शब्द की अभिव्यंजना में मृत पति के प्रति विधवा-स्त्री का अनुपम अनुराग, त्याग और बलिदान परिलक्षित होता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह अनुराग, त्याग और बलिदान सिर्फ पत्नी के लिए ही क्यों थे? पति के लिए क्यों नहीं थे? जबकि यह एक वैज्ञानिक एवं सर्वविदित तथ्य है कि मानव के सृजन में पति-पत्नी या स्त्री-पुरुष दोनों का समान रूप से योगदान है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में मानव-सृजन की कल्पना करना असंभव है। ऐसी स्थिति में सती प्रथा को पुरुष-वर्चस्ववाद द्वारा महिलाओं के ऊपर थोपा गया एक धिनौना और अमानवीय कुप्रथा के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कुप्रथा न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक प्राचीन देशों में भी प्रचलित थी। मिस्र के विश्व-विख्यात पिरामिडों में वहाँ के मृत-राजाओं के साथ उनकी प्रिय जीवित रानियाँ और परिचारिकाएँ विभिन्न उपयोगी सुख-सामग्री के साथ दफना दी जाती थी, ताकि मृत आत्मा दूसरे लोक में भी सुख-समृद्धि के साथ रहे। मृत पति के साथ पत्नी द्वारा प्राणोत्सर्ग करने की प्रथा मिस्र के अतिरिक्त स्लाव, रोम, यूनान आदि देशों में भी प्रचलित थी।¹ अतः भारत में इसका प्रचलन कोई नई बात नहीं थी।

यद्यपि भारत में सती प्रथा का प्रारम्भ कब हुआ ? यह प्रश्न विवादास्पद है, तथापि उसके प्रारम्भ अर्थात् उद्भव को प्रायः मध्य एशिया के साथ जोड़कर देखा जाता है। आज कई इतिहासकार इस तथ्य से सहमत हो चुके हैं कि भारत में आगमन से पहले ही भारोपीय-आर्य विधवाओं के अपने मृत पति के साथ जलकर मरने की प्रथा से अवगत थे, क्योंकि मध्य एशिया के देश इससे पहले से ही परिचित थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि स्त्री अपने मृत पति के शव के साथ लेटती है, तत्पश्चात् उसे सम्बोधित किया जाता है, 'नारी उठो, पुनः इस संसार में आओ।'² इस उद्धरण के आलोक में कतिपय विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक साहित्य में भी इसी प्रकार के कतिपय उद्धरण मिलते हैं। अथर्ववेद में उल्लेख है कि अपने मृत पति के साथ विधवा नारी चिता पर आरोहण करती है और फिर उसके बाद उसे चिता से उतर आने का निर्देश दिया

जाता है।⁴ तैत्तरीय आरण्यक में मृत पति की चिता से उठकर आयी विधवा का आगामी जीवन सुखमय होने की इच्छा व्यक्त की गई है।⁵ इन सीमित और प्रतीकात्मक साक्ष्यों के आलोक में वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं माना जा सकता। हाँ, ये प्रतीकात्मक साक्ष्य इस सत्य से जरूर अवगत कराते हैं कि वैदिक आर्य सती प्रथा से परिचित थे। लेकिन उन्होंने उसे व्यवहार में अपनाया नहीं, जिसके पीछे कुछ ठोस कारण नजर आते हैं। प्रथमतः तो यह है कि भारत में आर्यों के आगमन के क्रम में जलवायुगत अंतर की वजह से औरतों की अधिकांश आबादी मृत्यु को प्राप्त हो गई।⁶ फलतः औरतों की संख्या में एक प्रत्यक्ष कमी आई। भारत में आर्यों के बीच औरतों की कमी का ही तकाजा था कि उन्हें 'घृणित' अनार्य लड़कियों से शादी करनी पड़ी। आर्यों एवं अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ करते थे, उसके मूल में दो बातें प्रमुख भूमिका अदा कर रही थी। पहली तो यह कि आर्य, अनार्य लड़कियों को चुरा या उठा लाते थे और दूसरी गायों की चोरी। डी०डी० कोसाम्बी का मानना है कि ऋग्वेद में देवियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी इस बात का प्रमाण है कि इस काल में आर्य महिलाओं की वास्तव में कमी थी।⁷ विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं। वैदिक समाज युद्धरत था, जहाँ युद्ध में भाग लेने वाले पुरुषों की उत्पत्ति के लिए महिलाओं की आबादी में वृद्धि एक अनिवार्य शर्त थी। ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर औरतों की कमी महसूस की जा रही हो और दूसरी ओर उनकी आबादी में वृद्धि की आवश्यकता हो, सती प्रथा को अपनाता तत्कालीन आर्य समाज के लिए अत्यन्त अलाभकारी साबित हो सकता था। शायद यही वजह है कि आर्य सती प्रथा से अवगत होते हुए भी इसे व्यवहार में नहीं अपनाये और इसी कारण वैदिक साहित्य में सिर्फ एकाध जगहों पर और वो भी प्रतीकात्मक रूप में इसका जिक्र हुआ है। धर्मसूत्रों तथा बौद्ध साहित्य में भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। यद्यपि केवल आपस्तम्ब धर्मसूत्र में यह उल्लेख है कि मृत पति का भाई या उसका शिष्य या कोई दास विधवा स्त्री को श्मशान से घर वापस ले आता था।⁸ लेकिन इस उद्धरण से भी तत्कालीन युग में सती प्रथा का प्रचलन प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि इसमें भी वैदिक साहित्य की तरह केवल प्रतीकात्मक सती प्रथा की चर्चा है, न कि उसके व्यवहारिक पक्ष का।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में सती प्रथा चौथी सदी ई०पू० से व्यवहार में आया। सिकन्दर के आक्रमण के समय इस देश के कुछ जनपदों में सती प्रथा प्रचलित थी। गान्धार तथा कठ जनपदों में इस प्रथा के प्रचलन का उल्लेख ग्रीक-विवरणों में है।⁹ स्ट्रैबो के अनुसार, तक्षशिला की स्त्रियाँ मृत पति के साथ चिता में जल मरती थी।¹⁰ उस समय स्त्रियों द्वारा 'जौहर व्रत' ग्रहण कर प्राण-त्याग देने की प्रथा के भी अनेक संकेत ग्रीक लेखकों के ग्रंथों में मिलते हैं। कठ और आग्नेय जनपदों के वीर-पुरुष जब यवन आक्रांताओं के विरुद्ध रणक्षेत्र में लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी तो उनकी स्त्रियों ने 'जौहर व्रत' द्वारा अपने जीवन का अंत कर लिया था।¹¹ मध्यकाल के राजपूतों में जौहर की जो प्रथा थी, वह

प्राचीनकाल में चौथी शताब्दी ई०पू० में भी विद्यमान थी, यह असंदिग्ध है। इन साक्ष्यों के आलोक में उल्लेखनीय है कि भारत में सती प्रथा के प्रचलन का ऐतिहासिक उदाहरण चौथी सदी ई०पू० से ही मिलने शुरू होते हैं।

रामायण तथा महाभारत में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। रामायण में ब्राह्मणी वेदवती के सती होने का उल्लेख है¹², जो संभवतः प्रक्षेपक उद्धरण है। रामायण में सीता ने भी एक जगह अपने पति के साथ जलकर मरने की इच्छा व्यक्त की है।¹³ परन्तु रामायण काल में सती प्रथा सामाजिक जीवन में विशेष प्रभावशाली नहीं थी, क्योंकि दशरथ अथवा रावण की पत्नियों उनके मरने के बाद सती होती हुई नहीं दिखाई गई हैं। महाभारत में उल्लेख है कि महाराज पाण्डु के मरने पर उनकी पत्नी माद्रि सती हो गई।¹⁴ इसी प्रकार कृष्ण के पिता वसुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों— देवकी, मद्रा, रोहिणी और मदिरा ने सहमरण किया था।¹⁵ महाभारत के शांतिपर्व में एक कपोत—कपोती की कथा दी गई है, जिसमें कपोत के मर जाने पर कपोती सती हो गई।¹⁶ किन्तु महाभारत में ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें पत्नी, पति की मृत्यु के बाद सती नहीं हुई। अभिमन्यु, घटोत्कच तथा द्रोण की पत्नियों उनकी मृत्यु के बाद सती नहीं हुई थी।¹⁷ हमें हजारों यादव—विधवाओं का उल्लेख मिलता है, जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर गई थी।¹⁸ इन साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत काल में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं था। पुराणों में भी सती प्रथा के प्रचलन के अनेक प्रसंग विद्यमान हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के पश्चात् उनकी आठों पत्नियों उनके शव के साथ चिता में प्रवेश की थी, जिसमें रुक्मिणी प्रमुख थी।¹⁹ इसी प्रकार बलराम की मृत्यु होने पर जब उनकी पत्नी रेवती सती होने के निमित्त अग्नि में प्रविष्ट हुई, तब पति के देह के सम्पर्क से उन्हे अग्नि भी शीतल महसूस हुई।²⁰ कृत्यकल्पतरु में ब्रह्मपुराण का उद्धरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'पति के मर जाने पर सत्—स्त्रियों के लिए यही एक मात्र गति है कि वे भी पति के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाएँ। पति के वियोग से उत्पन्न होने वाली जलन के शमन का अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि पति की मृत्यु किसी देशान्तर में हो जाय, तो पत्नी को चाहिए कि उसकी पादुकाओं को अपने हृदय से लगाकर तथा पवित्र होकर अग्नि में प्रवेश करे।'²¹ कालिदास ने सती प्रथा के लिए 'पतिवर्त्मगा'²² शब्द का प्रयोग किया है। वात्स्यायन ने उल्लेख किया है कि नर्तकियाँ अपने प्रेमियों को सती होने का झूठा आश्वासन दिया करती थीं।²³ स्मृतियों से भी सती प्रथा के विद्यमानता की पुष्टि होती है। विष्णु स्मृति²⁴ और बृहस्पति स्मृति²⁵ के लेखक विधवा के लिए सती होना आदर्श मानते हैं, किन्तु सती होना अनिवार्य नहीं मानते। व्यास स्मृति में सती प्रथा को विधवा जीवन का सर्वोत्तम विकल्प स्वीकार किया गया है, जो स्वर्ग से भी अधिक महत्त्वशाली है।²⁶ सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ई० का गुप्तकालीन एरण अभिलेख है, जिसमें उल्लिखित है कि महाराज भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की हूणों के विरुद्ध युद्ध में मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी उसके चिता के साथ जलकर सती हो गई।²⁷

गुप्तोत्तर काल/पूर्वमध्यकाल में सती प्रथा के प्रचलन का अनेक प्रमाण तत्कालीन ग्रंथों और अभिलेखों में मिलता है। हर्षचरित से पता चलता है कि प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पूर्व ही उसकी पत्नी सती हो गई थी।²⁸ इसी प्रकार अपने पति ग्रहवर्मा की मृत्यु के उपरान्त राज्यश्री चिता बनाकर सती होने जा रही थी, किन्तु ऐन वक्त पर हर्ष ने पहुँचकर उसे बचा लिया।²⁹ नेपाल के एक अभिलेख में राजा धर्मदेव के मर जाने पर उसकी पत्नी राज्यवती के अग्नि में प्रवेश का उल्लेख है।³⁰ जोधपुर से प्राप्त एक अभिलेख में उल्लेख है कि गुहिल वंश की दो रानियाँ चिता में जलकर सती

हो गई।³¹ घटियाला (जोधपुर) अभिलेख (810 ई०) में राजपूत सामंत राणुक के साथ उसकी पत्नी सम्पलदेवी के सहगमन का उल्लेख है।³² कलचुरि वंश के चेदिराजा गांगेयदेव के साथ उनकी सौ रानियाँ सती हो गई थीं।³³ कल्हण की राजतरंगिणी में सती प्रथा के कई साक्ष्य मिलते हैं। राजतरंगिणी में उल्लेख है कि शंकरवर्मन के मर जाने पर उसकी प्रधान रानी सुरेन्द्रवती के साथ तीन रानियाँ सती हो गई।³⁴ कन्दर्प सिंह के मृत होने पर उसकी पत्नी सती हो गई थी।³⁵ इन विविध साक्ष्यों के आधार पर यह कहना गलत न होगा कि यह प्रथा इस काल में उत्तर भारत के राजकीय घरानों तक ही सीमित थी। यद्यपि दक्षिण भारत में सती प्रथा के बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, तथापि इस काल में दक्षिण भारत के राजघरानों में एक नई प्रथा जन्म लेती है, जिसमें राजा गद्दी पर बैठने के दौरान लगभग चार—पाँच सौ आदमियों का एक दल बनाता था, जो राजा द्वारा बनाये गये भात को ग्रहण करता था और ऐसे लोगों को राजा की मृत्यु के बाद आग में जलकर अपना जीवन नष्ट करना होता था³⁶, साथ ही राजा की पत्नी भी जलायी जाती थी। अग्नि पुराण (9वीं शताब्दी) में उल्लेख है कि जो स्त्री पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट होती है, वह स्वर्ग जाती है।³⁷ कथासरित्सागर में भी ऐसी कथाएँ विद्यमान हैं, जिनमें पत्नी का पति के शव के साथ चिता पर आरूढ़ हो जाने का वर्णन है।³⁸ अंगिरस और हारीत ने भी सती प्रथा की प्रशंसा की है।³⁹ एक ओर जहाँ कुछ शास्त्रकारों ने सती प्रथा का समर्थन किया है, वहीं बाणभट्ट, मेधातिथि और देवणभट्ट जैसे विधिवेत्ताओं ने विरोध भी किया है। महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया है, जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है, जिसका अनुगमन करने वाले स्त्री नरकगामिनी होती हैं।⁴⁰ टीकाकार मेधातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं।⁴¹ देवणभट्ट का विचार है कि सती प्रथा धर्म का विकृत रूप है और सती होने की अपेक्षा विधवा के ब्रह्मचारिणी रह कर जीवन व्यतीत करना अधिक श्रेयस्कर है।⁴² मृच्छकटिकम् में भी सती प्रथा की भर्त्सना और निन्दा की गई है।⁴³ इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में सती प्रथा के विषय में सब विद्वान एकमत न थे।

उपर्युक्त प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेखनीय है कि ई० सन् के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत में सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था। संभवतः यह प्रथा भी उसी समय शुरू हुई थी, जबकि विदेशी जातियों के निरंतर आक्रमणों के कारण भारतीय महिलाओं को अपनी रक्षा कर पाना आसान न रहा। इन आक्रमणों के कारण भारत में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, उनमें विधवा—स्त्री को यही उचित प्रतीत होने लगा था कि वह भी पति के साथ अपने जीवन लीला को समाप्त कर ले, क्योंकि अब उसे कोई समर्थ रक्षक नजर नहीं आ रहा था। सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख न वैदिक साहित्य में है, न बौद्ध साहित्य में, न सूत्रग्रंथों में और न ही कौटिल्यीय अर्थशास्त्र में। यद्यपि रामायण और महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये प्रकरण प्रक्षिप्त (बाद में जोड़े गए) प्रतीत होते हैं। इस आधार पर यह परिणाम निकालना असंगत न होगा कि इस प्रथा का प्रचलन विदेशी आक्रमणों के काल में ही शुरू हुआ। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्योत्तर तथा उसके पश्चात् के काल में सभी स्त्रियाँ पति की मृत्यु हो जाने पर सती हो गई थी। यह प्रथा केवल कुछ विशिष्ट कुलों या राजघरानों में ही प्रचलित थी। यही कारण है कि स्मृतियों तथा धर्मसूत्रों में जहाँ विधवाओं के लिए कतिपय दशाओं में पुनर्विवाह का विधान किया गया है, वहीं विधवा के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा तप, नियम, संयम से जीवन बिताने का विधान भी किया गया है। यह तभी संभव था, जबकि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी सती न हुई हो।

अतः यह स्वीकार करना होगा कि प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा सर्वमान्य और लोकप्रिय न होकर कतिपय विशिष्ट कुलों या राजघरानों तक ही सीमित थी और वह भी बाध्यकारी नहीं थी, जैसा कि अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि विधवा स्त्रियाँ अपनी इच्छा से सती होती थीं।⁴⁴

निष्कर्षतः, यह कहा जा सकता है कि सती प्रथा अत्यन्त क्रूर, जघन्य और निन्दनीय प्रथा होने के कारण प्राचीन भारतीय समाज में कभी लोकप्रिय प्रथा न बन सकी। सच्चरित्रता और सदाचरण के नाम पर जीते जी स्त्री को जल मरने के लिए प्रेरित करना अमानुषिक और घृणित कार्य था, जिसकी किसी भी रूप में प्रशंसा नहीं की जा सकती। सती प्रथा के सम्बन्ध में जीमूतवाहन का यह कथन कि बहुधा सम्पत्ति में विधवा स्त्री को हिस्सा न देने के उद्देश्य से उसके परिजन उसे सती होकर दूसरे लोक में पति से मिलने की प्रेरणा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, कुछ अंशों में सही प्रतीत होता है।⁴⁵

सन्दर्भ

1. श्रेदर, प्रीहिस्टॉरिक एंटीक्विटीज ऑफ आर्यन पीपुल, लंदन, 1889, पृ0 391.
2. पी.वी. काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, वॉल्यूम- 2, पृ0 628.
3. ऋग्वेद, 10.18.7, ' इया नारीरविधवाः सपत्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु। अनश्रवो नयीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयोयोनिमग्ने।।' वही, 10.18.8, ' उदीर्य नार्यभिजीव लोकं गतासुमेतमुपशेष एहि। हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तचैवं पत्युर्जनित्वममिसवभूत।।'।
4. अथर्ववेद. 'इयं नारी पतिलोकं वृणानां निपद्यते उपत्या मर्त्यं प्रेतम् धर्मम् पुराणमनुपालयन्ति तस्मै प्रजां द्रवणिं चेहधत्।'
- 5- तैत्तरीय आरण्यक. 1921, 6(1).
6. आर0एस0शमा. मैटीरियल कल्चर एण्ड सोशल फॉर्मेशंस इन एशियंट इंडिया. 1983, पृ0 38.
7. डी0डी0कोसाम्बी. ऐन इंद्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. 1985, 85.
8. श्रीकृष्ण ओझा. प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, जयपुर. 1978, 311.
9. सत्यकेतु विद्यालंकार. भारतीय इतिहास का पूर्व-मध्ययुग, नई दिल्ली. 2011, 369.
10. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पटना. 2006, 429.
11. सत्यकेतु विद्यालंकार, पूर्वोद्धृत।
12. रामायण, 7.17.14.
13. रंजीता सिन्हा, सती सिस्टम इन एशियंट इंडिया, पीएच.डी. थीसिस, पटना विश्वविद्यालय, पटना. 1993, 65.
14. महाभारत, आदिपर्व, 95.65, 'तत्रैनं चिताग्निस्थं माद्री समन्वाहरोह।'
15. वही, मौसल पर्व, 17.7.8, 24.
16. वही, शांतिपर्व, 248.8, 9.
17. ओम प्रकाश. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, नई दिल्ली. 2001, 229.
18. के0सी0 श्रीवास्तव. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इलाहाबाद. 2010-11, 185.
19. विष्णु पुराण, 5.38.2, 'अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणी प्रमुखास्तु याः। उपयुह्य हरेर्देह दिविशुस्ता हुताशनम्।'
20. वही, 5.38.3.
21. ब्रह्मपुराण से उद्धृत, कृत्यकल्पतरु, 634, 'मृते भर्तरिसत्स्त्रीणां न चात्या विद्यते गतिः। नान्यद्भर्तृ वियोगाग्निदाहस्य शमनं

- क्वचित्।। देशान्तरमृते तस्मिन् साध्वी तत्पादुकाद्वयम्। निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेच्चजातवेदसम्।।'
22. कुमारसंभव, 4.33, 'शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते। प्रमदाः पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचैतरैनपि।।'
 23. कामसूत्र, 6.2.53.
 24. विष्णु स्मृति, 25.14.
 25. बृहस्पति स्मृति, 24.11.
 26. यास स्मृति, 2.53, 'मृते भर्तरि या नारी समारोहेदधुताशनम्।_सा भवेत् शुभाचारा स्वर्गलोकं महीयते।'
 27. परमेश्वरीलाल गुप्ता. प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, वाराणसी, 'भक्तानुरक्ता च प्रिया च कान्ता भार्या वलग्नानुगताग्निराशिम्।' 2008; 2:203.
 28. एच0एन0 दुबे, भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद. 2009, 273.
 29. वही।
 30. सत्यकेतु विद्यालंकार, पूर्वोद्धृत।
 31. एपिग्राफिया इण्डिका, 20, 58.
 32. प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ दि ऑर्कियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वेस्टर्न सर्किल. 1906-7, 35.
 33. एपिग्राफिया इण्डिका, 2, 4, 'सार्धं शतेन गृहिणी।'
 34. राजतरंगिणी, 5.226.
 35. वही, 7.103.
 36. पी0 थॉमस. इण्डियन वीमन थू दि एजेज, कलकत्ता. 1964, 232.
 37. अग्निपुराण, 221, 23.
 38. सत्यकेतु विद्यालंकार, पूर्वोद्धृत, 370.
 39. ओमप्रकाश, पूर्वोद्धृत, 235.
 40. के0सी0 श्रीवास्तव, पूर्वोद्धृत, 186.
 41. वही।
 42. एच0एन0 दुबे, पूर्वोद्धृत।
 43. मृच्छकटिकम्, अंक 10.
 44. इलियट और डाउसन, हिस्टरी ऑफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स, लंदन, 1866-77, 11.
 45. दायभाग, 46,56.